न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— श्री अंशुल सिंह, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 71185/2018 दायर दिनाँक 23.03.2018

वादी		प्रतिवादीगण
1. तहसीलदार डीडवाना तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. भु—प्रबन्ध अधिकारी सीकर 2. कमलादेवी पत्नी कन्हैयालाल जाति मेघवाल निवासी मौलासर तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0

दावा बाबत्
रेकर्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act.
प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सी0पी0सी0

उपस्थितः—

1. श्री प्रभुदयाल व्यास तहसीलदार डीडवाना, वादी
2. श्री महेन्द्रसिंह खिलेरी वकील प्रतिवादी सं0 02

—:: निर्णय ::—

दिनाँक 11.09.2020

मूल वाद में प्रतिवादी सं0 02 कमला देवी पत्नी कन्हैयालाल जाति मेघवाल निवासी मौलासर द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी0पी0सी0 का पेश किया। प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि तहसीलदार डीडवाना द्वारा खसरा सं0 498 रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा, खसरा सं0 499 रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा व खसरा सं0 500 रकबा 03 बीघा 16 बिस्वा गैर मुमकिन बाडा जो कि वाके सरहद मौलासर में स्थित है के संबंध में तहसीलदार द्वारा मिथ्या तथ्यों के आधार पर 136 एल.आर.एक्ट का प्रार्थना पत्र पेश कर रखा है। प्रार्थीयां के पति कन्हैयालाल द्वारा एक वाद संख्या 118/2017 ऊपर वर्णित खसरा नम्बर के संबंध में एक वाद पेश किया हुआ था जिसका निर्णय दिनांक 31.12.2013 को हो चुका है। जिसके आधार पर प्रार्थीयां के पति को खातेदार घोषित किये जाने का आदेश पारित किया जा चुका है एवं उक्त निर्णय की अपील तहसीलदार द्वारा वर्तमान में राजस्व मण्डल अजमेर के यहां लम्बित है। खसरा सं0 498 व 499 के संबंध में पूर्व में श्रीमान के न्यायालय में प्रकरण चलकर दिनांक 31.12.2013 को निर्णित हो चुका है एवं उक्त प्रकरण की अपील भी दिनांक 15.03.2018 को राजस्व अपील अधिकारी नागौर के यहां निर्णित हो चुकी है एवं वर्तमान में उक्त पत्रावली राजस्व मण्डल अजमेर के यहां लम्बित है। ऐसी सूरत में इसी खसरा नम्बरान व इन्ही तथ्यों के संबंध में दुबारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2020.10.08 15:33:23 IST
Reason: SelfAttested
Scanned by CamScanner

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पत्रावली इसी न्यायालय में कानूनन नहीं चलाई जा सकती है। जिससे उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद मय खर्चा खारिज किया जाने का सादर आदेश फरमावें।

वादी तहसीलदार डीडवाना ने प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर प्रार्थना पत्र के तथ्यों को सही होना स्वीकार किया।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। वकील प्रतिवादी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि खसरा सं0 498 व 499 के संबंध में पूर्व में श्रीमान के न्यायालय में प्रकरण चलकर दिनांक 31.12.2013 को निर्णित हो चुका है एवं उक्त प्रकरण की अपील भी दिनांक 15.03.2018 को राजस्व अपील अधिकारी नागौर के यहां निर्णित हो चुकी है एवं वर्तमान में उक्त पत्रावली राजस्व मण्डल अजमेर के यहां लम्बित है। ऐसी सूरत में इसी खसरा नम्बरान व इन्ही तथ्यों के संबंध में दुबारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पत्रावली इसी न्यायालय में कानूनन नहीं चलाई जा सकती है। जिससे उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। अतः वादी का वाद मय खर्चा खारिज किया जाने का सादर आदेश फरमावें। वादी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्रों के तथ्यों को सही होना स्वीकार किया।

बहस के तर्को पर मनन किया। रेकर्ड का अवलोकन किया। पूर्व में इन्ही खसरा नम्बरान से संबंधित एक वाद निर्णित हो चुका है। अतः दुबारा इन्ही खसरा नम्बरान से संबंधित वाद को इस न्यायालय में चलाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के तथ्य सही होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी0पी0सी0 स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार होने से वादी का वाद खारिज किया जाता है।

(अंशुल सिंह)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक 11.09.2020 को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(अंशुल सिंह)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2020.10.08 15:33:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner